

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर निबन्धन अनुभाग-2

संख्या क०नि०-2-1822/ग्यारह-9(42)/17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(156)-2018

लखनऊ: दिनांक: 13 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और

(i) अधिसूचना संख्या-क०नि०-2-1790/ग्यारह-9(42)/17-उ०प्र०एक्ट-1-2017-आदेश-(83)2017 तारीख 24.11.2017; एवं

(ii) अधिसूचना संख्या-क०नि०-2-1760/ग्यारह-9(42)/17-उ०प्र० जी.एस.टी. नियम-2017-आदेश-(132)-2018 तारीख 06.09.2018, का सिवाय इसके, अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, के संबंध में परिषद् की सिफारिशों पर, राज्यपाल, एतद्द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक समग्र आवर्त है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिनूचित करते हैं, जो माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा उल्लिखित विशिष्ट-प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरों को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात् :-

सारणी

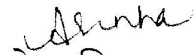
क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 अक्तूबर, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	31 अक्तूबर, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	31 अक्तूबर, 2018
4.	अप्रैल-जून, 2018	31 अक्तूबर, 2018
5.	जुलाई-सितंबर, 2018	31 अक्तूबर, 2018
6.	अक्तूबर-दिसंबर, 2018	31 जनवरी, 2019
7.	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

परंतु यह कि माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2018 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे—(i) केरल राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा ; (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारबार का मूल स्थान कर्नाटक राज्य में कोडागु जिले में है ; और (iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारबार का मूल स्थान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के माहे में है, इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 15 नवंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे :

परंतु यह और कि माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए करदाताओं द्वारा, जिन्होंने अधिसूचना सं.-क0नि0-2-1884/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 एक्ट-1-2017-आदेश-(143)-2018 तारीख 25.09.2018 के निबंधनों के अन्तर्गत माल और सेवा कर पहचान सं. (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त कर ली है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे को इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने की समय-सीमा पश्चातवर्ती रूप से अधिसूचित की जाएगी ।

आज्ञा से,


(आलोक सिन्हा)

अपर मुख्य सचिव